

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....



# जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या -2020/rtiexpose/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

रविवार, 15 मार्च 2020



अग्निशमन और पुलिस के जिम्मेदार

अधिकारियों का कारनामा!!!

ट्रांसफार्मर से लगी हुई दूकान को

नियमविरुद्ध पटाखा लाईसेंस जारी किया।

Exclusive Report



लाईसेंसी श्री कल्याण साहू प्लाट न. 4 गणेश नगर,न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर को दिया गया अस्थायी पटाखा लाईसेंस, इस दूकान के पास स्थित ट्रांसफार्मर, जो किसी जिम्मेदार को नहीं दिखा।

**नियमों के अनुसार पटाखा शॉप के 15 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए ज्वलनशील/विस्फोटक या खतरनाक पदार्थों का भण्डारण/स्थल**

पटाखा शॉप का अस्थायी लाईसेंस क्षेत्र के सहायक पुलिस उपायुक्त द्वारा दिया जाता है। इस लाईसेंस की शर्तों के अनुसार प्रस्तावित पटाखा शॉप के उपर किसी का रहवास नहीं होना चाहिए, प्रस्तावित पटाखा शॉप के 15 मीटर के अंदर ज्वलनशील/विस्फोटक या खतरनाक पदार्थों का भण्डारण/स्थल नहीं होनी चाहिए। जिसके तहत बिजली के ट्रांसफार्मर, पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेंट/होटल/लकड़ी का गोदाम इत्यादि आते हैं।

**लाईसेंसी श्री कल्याण साहू को प्लाट न. 4 गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर पर दिया अस्थायी पटाखा लाईसेंस, इस दूकान के पास स्थित ट्रांसफार्मर, जो किसी जिम्मेदार को नहीं दिखा।**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऐसी ही एक लाईसेंसी श्री कल्याण साहू को प्लाट न. 4, गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला को अस्थायी पटाखा शॉप का लाईसेंस दिया गया जिसके बिलकुल नजदीक ही बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। लाईसेंस जारी करने से पहले बाकायदा अग्निशमन और पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा प्रस्तावित पटाखा दूकान का मौक़ा मुआयना किया जाता है। पटाखा शॉप के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के बाद ही लाईसेंस जारी किया जाता है। परन्तु इस दूकान को लाईसेंस जारी करने में सभी नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया और मौक़ा निरीक्षण करते समय जिम्मेदारों द्वारा रिश्तत की मोटी रकम के लालच में अपनी आँखें मूंद ली गयी।

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी को शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं।**

स्थानीय व्यक्तियों द्वारा इस मामले की जानकारी देने पर हमारे द्वारा इस मामले को मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी के संज्ञान में लाया गया जिस पर उनके द्वारा मामले की जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, परन्तु ढाक के तीन पात; इस दूकान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और दुकानदार ने जिम्मेदार अधिकारियों को भेंट-पूजा कर अपनी दिवाली मना ली

**सूचना के अधिकार के तहत महेश नगर थाने ने मना किया कि उसके थानाक्षेत्र में कोई अस्थायी पटाखा लाईसेंस जारी नहीं किया गया। आखिर क्यों छुपा रहे थे तथ्य?**

इस मामले में अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) से इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी थानाक्षेत्रों में इस वर्ष दिए गये अस्थायी पटाखा दुकानों की जानकारी चाही गयी। इस सूचना आवेदन के सम्बन्ध में सोडाला, अशोकनगर, विधायकपुरी, शिप्रापथ, मानसरोवर, ज्योतिनगर, शिवदासपुरा, चाकसू थानों ने अपने क्षेत्र में दिए गये लाईसेंसों की जानकारी उपलब्ध करवा दी गयी परन्तु पुलिस थाना श्यामनगर, कोटाखावदा, महेशनगर, मुहाना सांगानेर द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। इस सम्बन्ध में जब प्रथम अपीलिय अधिकारी को प्रथम अपील दायर की गयी तब भी महेश नगर थाने के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हठधर्मिता दिखाते हुए जवाब दिया कि उनके क्षेत्र में कोई अस्थायी पटाखा दूकान वर्ष 2019 में संचालित नहीं की गयी।

**Right To Information**  
A CITIZEN GATEWAY  
Information Service Portal  
ri.gov.in

**कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना महेशनगर (दक्षिण) जयपुर।।**  
कमाक :- 15442  
दिनांक :- 30.11.2019

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवं  
अति० पुलिस उपायुक्त महोदय  
जयपुर (दक्षिण)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा के संबंध में।  
प्रसंग :- श्रीमान के पत्र कमांक 3575 दिनांक 22.11.2019 की पालना में।

महादेय,  
उपरोक्त विषयान्त एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री ज्ञानेश कुमार निवासी जयपुर के द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार श्रीमान की सेवा में पेश है।

1. श्रीमान आवेदक द्वारा चाही गई सूचना आपके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त चालु वित्त वर्ष 2019,20 में संचालित पटाखा दुकानों की सूची/जानकारी उपलब्ध करवाने का श्रम :- श्रीमान थाना हाजा के क्षेत्राधिकार में चालु वित्त वर्ष 2019,20 में कोई पटाखा की दुकान संचालित नहीं है शून्य रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है  
अतः रिपोर्ट अवलोकनार्थ श्रीमान कि सेवा में पेश है।

थानाधिकारी  
पुलिस थाना महेशनगर  
(दक्षिण) जयपुर



## वर्ष 2017 में भी दिया गया लाईसेंस

इतना ही नहीं इस दूकान को वर्ष 2017 में भी पटाखा शॉप हेतु अस्थायी लाईसेंस जारी किया गया है। जिससे पता चलता है कि जिम्मेदार अधिकारी कैसे सालों से आँख मूंदकर काम कर, हजारों मासूमों की जान से खिलवाड़ करते हैं?

### ऐसे एक नहीं सैंकड़ों मामले, पैसों के बदले फायर NOC की रेवड़ियाँ बांटने का बनाया धंधा

आपको बता दें कि ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आये हैं जिसमें अग्निशमन के जिम्मेदार अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते नजर आये हैं। उन्होंने फायर NOC को पैसा कमाने की मशीन बना लिया है। यदि अस्थायी पटाखा शॉप को ही लाईसेंस देने की बात करें तो पूरे शहर में हजार से अधिक दुकानों को हर वर्ष लाईसेंस दिए जाते हैं, इस लाईसेंस के लिए जहाँ पर सरकारी फीस मात्र 500 रुपये है वहीं घूस की फीस 25 हजार से 2 लाख रुपये के बीच है जो कि दूकान की लोकेशन और कागजी खानापूति में कमी पर निर्भर करती है। इसके

अलावा साहबों के घर के लिए पटाखे अलग से लिए जाते हैं, जो की भ्रष्टाचार में नहीं होकर शिष्टाचार की श्रेणी में आता है।

### हाल ही में लगी थी इंदिरा बाजार में स्थित पटाखे की दुकान में आग

गत माह इसी तरह का हादसा जयपुर के इंदिरा बाजार में हो चुका है जिसमें 10 दुकाने जल कर खाक हो गयीं और करीब 5 करोड़ का नुकसान हुआ था, इस हादसे ने अग्निशमन विभाग की कलाई खोल कर रख दी थी। यदि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी तो रोज ऐसे हादसे होते रहेंगे और हम तमाशा देखते हुए सिस्टम को कोसते रहेंगे।

**जयपुर सिटीजन**  
SUNDAY 16 फरवरी 2020

**परकोटे के इंदिरा बाजार में हादसा**

### 10 दुकानें खाक कर गईं एक पटाखे की चिंगारी

कई किलोमीटर दूर तक दिखे आसमान में फूटते पटाखे और घुंघुं का गुबार, 5 घंटे में पा सके काबू, 10 दुकानों में भारी नुकसान, हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि ऐसे बाजार में पटाखे की दुकान क्यों...

**कब लगी आग**  
दोपहर 12:30 बजे

**कैसे बुझाई**  
20 दमकलों ने 60 फेरे लगाए

**नुक़सान कितना**  
रुपय 500

**परकोटे**  
इंदिरा बाजार में

**भयावह आग, धुआं-धुआं इंदिरा बाजार**

**दैनिक भास्कर**

## जयपुर फ्रंट पेज

### परकोटे का भस्मासुर

ग्राहक को पटाखे चलाकर दिखा रहा था, खुद की दुकान भस्म, 6 और भी राख हुईं

**दोपहर 12:45 बजे आग, 5 वाहन भी चपेट में आए, हर ओर धमाके व धुआं**

**20 दमकल, 125 से ज्यादा दमकलकर्मी-आरएसी व पुलिस ने 5 घंटे बाद बुझाई आग**